दां.प्रकी.(जमा.) 4387/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री आर.एस.चुण्डावत,
जन अभियोजक श्री ओ.पी. राठी उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त के द्वारा एक चोट पहुंचाना बताया गया है। अभियुक्त को दिनांक 21.7.2004 को गिरफ्तार किया गया है तब से वह न्यायिक हिरासत में है। मजरूब को छुट्टी दी जा चुकी है और वह ठीक होना बताया है। अभियुक्त द्वारा मात्र एक चोट अचानक झगड़ा होने और आपस में पैसों का विवाद होने से अचानक गुस्से में आकर चाकू मारना बताया है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। हालांकि अभियुक्त द्वारा एक चोट मजरूब के पेट पर चाकू की मारी गई है मगर झगड़ा अचानक होना पाया जाता है और एक चोट ही पहुंचाई गई है, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी दलजीत सिंह पुत्र द्वारकानाथ लोहार योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके

न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)